

क्र. 425001/नि.प्र../2016/सर्कु./17558

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सिहावा भवन, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 27 /10/2018

प्रति,

✓ समस्त ठेकेदार

"अ" एवं "ब" श्रेणी

विषय :- निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज।

जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2018 से प्रचलन के लिये जारी किये जाने वाले निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण-पत्र हेतु ठेकेदार/फर्म/कंपनी को अपने आवेदन प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को दिनांक 15 नवम्बर 2018 के पूर्व जमा किया जाना है।

इस हेतु प्रस्तुत किये जाने आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रथम बार निविदा अर्हता पूर्व प्रमाण-पत्र जारी किये जाने तथा नवीनीकरण हेतु संलग्न है। कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र : दस्तावेजों की सूची

 27/10/18

अधीक्षण अभियंता

निविदा प्रकोष्ठ

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

रायपुर (छ.ग.)


27/10/2018

ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा प्रथम बार निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज.

- 1 आवेदन
- 2 ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा जारी)
- 3 फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी)
- 4 पार्टनरशिप होने पर पार्टनरशिप डीड.
- 5 वित्तीय अभिलेख (वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक) :-
 - (A)- आयकर सरल
 - (B)- आडिट रिपोर्ट (विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु कुल भुगतान राशि का उल्लेख आवश्यक)
 - (C)- बैलेंस सीट
 - (D)- प्राफिट एवं लास प्रमाण पत्र
 - (E)- टी. डी. एस. प्रमाण पत्र 16 (A) {शासकीय विभाग द्वारा जारी फॉर्म with work and Payment details} विवरण वित्तीय वर्षानुसार
 - (F)- सी. ए. द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्नओवर
 - (G)- फार्म 26 AS
 - (H)- वित्तीय वर्ष 2017-18 का मंथली जी.एस.टी. रिटर्न फार्म GSTR-1, 1A, 2, 2A and 3
- 6 सिविल कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र :-
 - (A)- जिसमें वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक किये गए कार्यों की वर्षवार भौतिक मात्रा (वर्षवार), कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, पृष्ठांकन, किये गए कार्य का विवरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण अवश्य होना चाहिए.

निम्न कार्यों कि भौतिक मात्रा आवश्यक है-

 - (i) Hard rock excavation :- in Cum
 - (ii) All type of cement concrete work :- in Cum
 - (iii) All type of masonry work :- in Cum
 - (iv) Cement Concrete Lining (A) Paver Lining :- in Cum (B) Other than Paver Lining :- in Cum
 - (v) Diaphragm Wall :- in Cum
 - (vi) Quantity for HDPE/UPVC/GI/DI/CI Pipe works :- in Meter for Year 2013-14 to 2017-18
 - (B)- वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य के Completion Certificate जिसमें कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, पृष्ठांकन, किये गए कार्य का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण, टेंडर का वर्क आर्डर एवं एग्रीमेंट नं., टेंडर की राशि एवं पूर्ण किये गए कार्य की कुल राशि एवं कार्य पूर्णता का दिनांक अंकित होना आवश्यक है.
- 8 विभाग द्वारा जारी Annexure क्र. I, I (A), I (B), I (C), I (D), II, II (A), III, IV (विभागीय साईट www.cgwrdd.gov.in से डाउनलोड करें)

9 शपथ पत्र - विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र में निम्नसार भरा जावे. (सभी राशि लाख रुपये में)

Year	Total Financial turnover	Total T.D.S. Paid	Financial Turnover of other works including subsidiaries/ subcontract and private works	Financial Turnover of only Civil Engg. works excluding subsidiaries/ subcontract and private works	Multiplying Factor for Index	Total indexed Civil Engg. work for Financial Turnover at the present Price Level
1	2	3	4	5	6	7
2013-14					1.61	
2014-15					1.46	
2015-16					1.33	
2016-17					1.21	
2017-18					1.10	

कालम 2 में Audit Report एवं सी. ऐ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार

कालम 3 में टी.डी.एस. सर्टिफिकेट (16A) से गणना करें.

कालम 4 प्राइवेट कार्यों से प्राप्त राशि है जिसे कालम 2 के कुल वित्तीय टर्नओवर से शासकीय विभाग से प्राप्त कुल वार्षिक आय को घटा कर (2-5) प्राप्त किया जा सकता है.

कालम 5 में शासकीय सिविल कार्यों (सप्लाई के अतिरिक्त) से प्राप्त वर्षवार आय है, जो कि आयकर फार्म 26 AS एवं 16 A में अंकित हो.

कालम 6-यह प्रतिवर्ष पूर्व के वर्ष के टर्नओवर पर 10% प्रतिवर्ष कि दर से दिया गया अधिभार (Weightage) है.

कालम 7- प्रतिवर्ष सिविल कार्यों के टर्नओवर का M.F. से गुणा (5 X 6) कर प्राप्त करें.

NOTE-

- 1- सभी प्रस्तुत दस्तावेज नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए
- 2- GSTin Number की छायाप्रति
- 3- E- mail पता एवं दो Contact No. देना आवश्यक है.
- 4- दस्तावेजों को उपरोक्तानुसार क्रम में पेज क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत करें.
- 5- सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दिए गए ठेकदार के नाम के Same Name And Style में मान्य होंगे.
- 6- प्रथम बार जारी होने वाले प्रमाण पत्र हेतु कंपनी के समावेशन (Date of incorporation) का प्रमाण पत्र करें.

(शासन के आदेश क्र.2244 / एफ-7-7 / 31 / एस-2/ 2001 (पार्ट) नया रायपुर दिनांक 24.05.2017 के अनुसार अब रु. 200.00 लाख तक के लागत के कार्यों हेतु निविदाओं में निविदा पूर्व अर्हता का प्रावधान लागू नहीं होगा. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.)

**ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा पूर्व में जारी निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण
(वर्ष 2017-18) हेतु जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज.**

- 1- आवेदन
- 2- ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (पी.डबल्यू. डी. द्वारा जारी)
- 3- फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी)
- 4- पार्टनरशिप होने पर पार्टनरशिप डीड.
- 5- वित्तीय अभिलेख (वित्तीय वर्ष 2017-18 का) :-
 - (A)- आयकर सरल
 - (B)- आडिट रिपोर्ट (विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु कुल भुगतान राशि का उल्लेख आवश्यक)
 - (C)- बैलेंस सीट
 - (D)- प्राफिट एवं लास प्रमाण पत्र
 - (E)- टी. डी. एस. प्रमाण पत्र 16 (A) {शासकीय विभाग द्वारा जारी फॉर्म with work and Payment details} विवरण वित्तीय वर्षानुसार
 - (F)- सी. ए. द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्नओवर
 - (G)- फार्म 26 AS
 - (H)- वित्तीय वर्ष 2017-18 का मंथली जी.एस.टी. रिटर्न फार्म GSTR-1, 1A, 2, 2A and 3
- 6- सिविल कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र :-
 - (A)- जिसमें वर्ष 2017-18 में किये गए कार्यों की वर्षवार भौतिक मात्रा, कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, पृष्ठांकन, किये गए कार्य का विवरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण अवश्य होना चाहिए.

निम्न कार्यों की भौतिक मात्रा आवश्यक है-

 - (i) Hard rock excavation :- in Cum
 - (ii) All type of cement concrete work :- in Cum
 - (iii) All type of masonry work :- in Cum
 - (iv) Cement Concrete Lining (A) Paver Lining :- in Cum (B) Other than Paver Lining :- in Cum
 - (v) Diaphragm Wall :- in Cum
 - (vi) Quantity for HDPE/UPVC/GI/DI/CI Pipe works :- in Meter for Year 2013-14 to 2017-18
 - (B)- वित्तीय वर्ष 2017-18 में Completion Certificate जिसमें कार्यालय का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, पृष्ठांकन, किये गए कार्य का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण, टेंडर का वर्क आर्डर एवं एग्रीमेंट नं., टेंडर की राशि एवं पूर्ण किये गए कार्य की कुल राशि एवं कार्य पूर्णता का दिनांक अंकित होना आवश्यक है.
- 8- विभाग द्वारा जारी Annexure क्र. I, I (A), I (B), I (C), I (D), II, II (A), III, IV (विभागीय साइट www.cgwrd.gov.in से डाउनलोड करें)

9- शपथ पत्र - विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र में निम्नुसार भरा जावे. (सभी राशि लाख रुपये में)

Year	Total Financial turnover	Total T.D.S. Paid	Financial Turnover of other works including subsidiaries/ subcontract and private works	Financial Turnover of only Civil Engg. works excluding subsidiaries/ subcontract and private works	Multiplying Factor for Index	Total indexed Civil Engg. work for Financial Turnover at the present Price Level
1	2	3	4	5	6	7
2017-18					1.10	

कालम 2 में Audit Report एवं सी. ऐ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार

कालम 3 में टी.डी.एस. सर्टिफिकेट (16A) से गणना करें.

कालम 4 प्राइवेट कार्यों से प्राप्त राशि है जिसे कालम 2 के कुल वित्तीय टर्नओवर से शासकीय विभाग से प्राप्त कुल वार्षिक आय को घटा कर (2-5) प्राप्त किया जा सकता है.

कालम 5 में शासकीय सिविल कार्यों (सप्लाई के अतिरिक्त) से प्राप्त वर्षवार आय है, जो कि आयकर फ़ार्म 26 AS एवं 16 A में अंकित हो.

कालम 6-यह प्रतिवर्ष पूर्व के वर्ष के टर्नओवर पर 10% प्रतिवर्ष कि दर से दिया गया अधिभार (Weightage) है.

कालम 7- प्रतिवर्ष सिविल कार्यों के टर्नओवर का M.F. से गुणा (5 X 6) कर प्राप्त करें.

NOTE-

- 1- सभी प्रस्तुत दस्तावेज नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए
- 2- GSTin Number की छायाप्रति
- 3- E- mail पता एवं दो Contact No. देना आवश्यक है.
- 4- दस्तावेजों को उपरोक्तानुसार क्रम में पेज क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत करें.
- 5- सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दिए गए ठेकदार के नाम के Same Name And Style में मान्य होंगे.
- 6- पूर्व में जारी 30 नवम्बर 2018 तक मान्य निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु उपरोक्त जानकारीयां मात्र वर्ष 2017-18 की ही प्रस्तुत करें. आवश्यकता होने पर पूर्व के वर्षों की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। यदि पूर्व के वर्षों में नवीनीकरण नहीं हुआ हो तो उन वर्षों के पूर्ण डाटा भी जमा करना आवश्यक है।

(शासन के आदेश क्र.2244 / एफ-7-7 / 31 / एस-2/ 2001 (पार्ट) नया रायपुर दिनांक 24.05.2017 के अनुसार अब रु. 200.00 लाख तक के लागत के कार्यों हेतु निविदाओं में निविदा पूर्व अर्हता का प्रावधान लागू नहीं होगा. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.)